

**जोनल एडीशनल कमिश्नर
(गाजियाबाद जोन प्रथम, कानपुर जोन प्रथम,
सहारनपुर, लखनऊ जोन प्रथम व झाँसी)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा दि0 01-06-2021 को समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर के साथ संपन्न वर्चुअल बैठक के कार्यवृत्त /समीक्षा में यह पाया गया कि -

- 1- श्री प्रेम कुमार, संग्रह अमीन खण्ड-2 गाजियाबाद जोन प्रथम का 213 दिन का नगदीकरण नहीं किया गया है।
- 2- श्री अनिल कुमार प्रधान सहायक, झाँसी की सर्विस बुक में नॉमिनी नहीं है।
- 3- श्री राकेश कुमार सिंह सेवक, कानपुर के सन्दर्भ में शिकायत होने से उनके देय आश्रितों को नहीं दिये गये है।
- 4- श्री बजरंग, हरदोई की guardianship पेण्डिंग है।
- 5- सहारनपुर के वरिष्ठ सहायक की आश्रित उनकी माता है। निर्देश है कि उन्हें बुलाकर नियमानुसार सार्टआउट किया जाए जिससे उन्हें अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े।

तत्क्रम में संज्ञानित मामलों में जिन आश्रितों में बच्चे नाबालिग है, उन्हें विभाग द्वारा guardianship प्रदान करते हुये देयकों को प्राथमिकता पर प्रदान कराया जाए। कोविड से मृत कार्मिकों की कोविड शासनादेशानुसार निर्धारित प्रपत्र पूर्ण कराकर यथा विभागीय स्टाफ भेजकर प्रपत्र पूर्ण करवाते हुये संबंधित जिले के जिलाधिकारी को नियत तिथि तक प्राप्त कराते हुये एवं अपने जोन से संबंधित प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कराते हुये उसकी एक प्रति मुख्यालय (कर्मचारियों की एडीशनल कमिश्नर प्रशासन) पर उपलब्ध कराये जिससे मुख्यालय द्वारा आवश्यकता अनुरूप कार्यवाही की जा सके।

(सूर्यमणि लालचंद)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि, पृष्ठांकन, पत्र सं0व दिनांक उक्त।

- 1- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्यकर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।